न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 04/2014

वादीगण :-

1. देवाराम पुत्र हरजीराम
   जाति-जाट,निवासी-पिपलियाखुर्द
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. घीसाराम पुत्र रामाराम जाति-जाट
   निवासी-पिपलियाखुर्द
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार,जैतारण
3. उप पंजीयन अधिकारी,जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली(राज0)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.03/01/2014**

उपस्थितः- 1. श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 17/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का-पिपलिया खुर्द तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा संख्या 88 रकबा 11बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसका लगान 7.10 पैसे नकल जमाबंदी प्रमाणित प्रति दावे के साथ पेश की है। जिसका एक भाग माना जावें। उक्त आराजी को दावें में मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया जायेगा। वादी का सजरा खानदान नाथाराम (फौत) के पुत्रगण रामा (फौत) एवं हरजी (फौत) हुए तथा रामा (फौत) का पुत्र घीसाराम हैं एवं हरजी (फौत) का पुत्र देवाराम हुआ। उक्त मुतदाविया आराजी वक्त सैटलमेन्ट वादी के बड़े पिता रामाराम पुत्र नाथुराम के नाम कर्ता खानदान होने के कारण एवं परिवार में मुख्या होने के कारण इनका नाम वक्त सैटलमेन्ट राजस्व रेकर्ड में आ गया। उक्त मुतदाविया आराजी संयुक्त हिन्दु मुर्स्तफा खानदान की पुश्तैनी कृषि आराजी हैं। जिसमें वादी का भी हित निहित हैं। वादी के पिता हरजी अनपढ व भोले थे। इसलिये इनका नाम वक्त सैटलमेन्ट राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। उक्त वक्त रामाराम ही परिवार का होशियार कर्ता खानदान बुद्धिमान व्यक्ति था। जबकि हरजीराम अनपढ थे। वह कृषि व पशुपालन का कार्य करते थे। रामाराम पंच पंचायती व सरकारी काम में हाशियारी का फायदा उठा कर बाले-बाले उक्त मुतदाविया आराजी को अपने स्वयं के नाम करवा ली। जिससे वादी का पिता व वादी अपने जायज हक हकूकों से वंचित हो जायेगा। मौके पर वादी का कब्जा काश्त हैं तथा फसल चने की बोई हुई हैं। वादी के पिता का वक्त सैटलमेन्ट नाम राजस्व रेकर्ड में नही होने से वादी भी अपने कब्जा सुदा कृषि भूमि का स्वामित्व के बिना किसी भी बैक वगैरह से किसान साख पत्र वगैरह नहीं बना सकता और न ही ग्राम सेवा सहकारी समिति से उक्त मुतदाविया आराजी पर ऋण ले सकता हैं तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जो मुआवजा भी दिया गया। उससे भी वादी महरूम हो गया। इसलिये दिनांक 02/01/2014 को तहसीलदार कार्यालय जैतारण के प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर दावा घोषणा हेतु पेश किया है। जिसमें वादी को पूर्ण सफलता मिलने की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संभावना है। वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि प्रतिवादी गण द्वारा दखलंदाजी व अन्य संकामण करने से जरिये स्थाई निषेघाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। अन्यथा टन्टा फसाद होगा एवं जगीन का स्थानान्तरण हो गया, तो वाद की बहुलता होगी। वादी को खर्चे से बार-बार जैरबार होना पडेगा। वाद-पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बिना नोटिस दिये ही पक्षकार बनाया गया हैं। जबकि 80(2) सीपीसी का नोटिस दो माह पूर्व देना आवश्यक है। वाद-पत्र पेश करने से पूर्व आज्ञा हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया है। बिनाय दावा दिनांक 02/01/2014 को ग्राम-पिपलियाखुर्द में प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी कि उक्त जमीन का में बेचान कर दुंगा। जिससे तुम्हे कुछ भी इस जमीन में हक नही मिलेगा और नहीं हक शेष रहेगा। इस पर नकल प्राप्त कर उक्त वाद पत्र पेश किया है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद सम्मनस तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पिपलियाखुर्द में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की। नाथा के पुत्र रामूजी और हरजीराम हैं, दोनो फौत हो गए। रामजी के पुत्र घीसाराम तथा हरजीराम के पुत्र देवाराम हैं। पुत्रीया मिसरी शांति का देहान्त हो गया। वादी पुश्तैनी जमीन में खातेदार घोषित होना चाहता हैं। पत्रावली में जमाबंदी पर नोट अंकित किया कि सैटलमेंन्ट के समय रामा पुत्र नाथा का नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी हैं। वादी को पैतृक व पुश्तैनी भूमि होने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का-पिपलिया खुर्द तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा संख्या 88 रकबा 11बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादी के साथ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पिपलियाखुर्द पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. देवाराम पुत्र हरजीराम
   जाति-जाट,निवासी-पिपलियाखुर्द
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. घीसाराम पुत्र रामाराम जाति-जाट
   निवासी-पिपलियाखुर्द
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार,जैतारण
3. उप पंजीयन अधिकारी,जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली(राज0)

मु0न0:रा0वा0 स0:04/2014

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का-पिपलिया खुर्द तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा संख्या 88 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादी के साथ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	-	
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	03	00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	08	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner